झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1241 वर्ष 2017

सुपा उरांव, पे0 स्वर्गीय रूपना उरांव, निवासी ग्राम–नादिया, डाकघर एवं थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा, झारखण्ड।

.... वादी/अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता

बनाम्

1. उपायुक्त, लोहरदगा, डाकघर और थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा के माध्यम से झारखण्ड राज्य।

2. रावना उरांव, पे0 स्वर्गीय घानू उरांव, निवासी ग्राम–नादिया, डाकघर एवं थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा, झारखण्ड।

.....उत्तरदाता/उत्तरदाता/उत्तरदाता

3. मनु उरांव, पे0 स्वर्गीय रूपना उरांव, निवासी ग्राम–नादिया, डाकघर एवं थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा, झारखण्ड।

.....वादी/अपीलकर्ता/परफार्मा प्रतिवादी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री राजेश कुमार महाथा, अधिवक्ता

प्रतिवादी–राज्य के लिएः– श्री साहिल, एस0सी0 (एल एंड सी) के ए0सी0

02/18.06.2018 याचिकाकर्ता, जो टाइटल अपील संख्या–01/2014 के अपीलकर्ताओं में से एक है, दिनांक 19.12.2016 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा जमींदारी किराया रसीदों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. अनुसूची संपत्तियों में वादियों के लिए 1/2 हिस्से की सीमा तक विभाजन के लिए प्रारंभिक डिक्री के लिए सुपा उरांव और मनु उरांव द्वारा विभाजन वाद संख्या 11/2007 दायर किया गया था। वाद को दिनांक 21.12.2013 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इससे असंतुष्ट होकर वादियों ने टाइटल अपील संख्या 01/2014 दायर किए। लंबित अपील में अपीलार्थियों द्वारा जमींदारी किराया रसीदों को प्रदर्शित करने के लिए दिनांक 08.04. 2016 को एक आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन को 19 दिसम्बर, 2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. सी0पी0सी0 के आदेश XLI नियम 27 में यह अधिदेश है कि अपीलीय स्तर पर पक्षकारों को अतिरिक्त साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, इस वैधानिक निषेद में आदेश XLI नियम 27 (क), (कक) और बी सहपठित आदेश XLI नियम 27 सी0पी0सी0 के उप–नियम 2 के अपवाद है। विभाजन वाद के लम्बित रहने के दौरान वादियों ने दिनांक 30.10.1965 के करार, दिनांक 16.12.1941 के विक्रय पट्टे, मालगुजारी किराया रसीदों आदि की प्रतियां फाइल की। जमींदारी किराया रसीदों को प्रदर्शित करने के लिए अपीलीय अदालत से इजाजत लेने के लिए दायर किए अपने आवेदन में अपीलकर्ताओं ने सद्भाविक भूल के कारण इन किराया रसीदों को सबूत में पेश नहीं किए जाने का उल्लेख किया है, इसके सिवाय उन्होनें कोई अन्य कारण उल्लेख नहीं किया कि क्यों इन दस्तावेजों को विभाजन वाद में पेश नहीं किया जा सका। मेरी राय में, जब यह पाया जाता है कि वादियों ने विभाजन वाद में दस्तावेजी साक्ष्य दायर किया है, तो जमींदारी किराया रसीदों को दाखिल नहीं करना एक सद्भाविक भूल नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता

द्वारा यह अभिवचन नहीं किया गया है कि ये किराया रसीदें उसके पास नहीं थीं या उचित परिश्रम के बावजूद ये दस्तावेज विभाजन वाद संख्या 11/2007 में प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

4. उपरोक्त तथ्यों में, मैं 19 दिसंबर 2016 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ और तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)